वित्तीय स्वीकृति/समयबद्ध/फैक्स

संख्या-3/2017/34/55-पर्या-2017-36(पर्या)/14

प्रेषक,

श्री आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-1064 पर्या/आई0आई0टी0 जी0आई0एस0 /2014 दिनांक 28.02.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन डा0 मुकेश शर्मा, प्रोफेसर, सिविल प्रौद्योगिकी विभाग, आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा Spatial and Temporal GIS based emission inventory of Air Pollutants and Green House Gases in three major cities of Uttar pradesh: A query based decision making tool " नामक अध्ययन हेतु परियोजना के कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रश्नगत योजना के तृतीय चरण हेतु श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) में से रू0 2,43,814.00 (रू0 दो लाख तैंतालिस हजार आठ सौ चौदह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार/अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृति धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-45 के लेखाशीर्षक "3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूदभवन-आयोजनागत-003-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार-04-पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2017/34(1)/55-पर्या-2017, तददिनांक

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.upnic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।